न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 59/2020 वाद
दायर दिनांक – 18/09/2020
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. शंकरलाल पिता रामा जाति रेगर निवासी बैठूम्बी तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रिकोर्ड में अंकन

: : निर्णय : :

वादी जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती बाबत् के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि ग्राम बैठूम्बी पटवार पनोतिया में स्थित कृषि जिसके आराजी नम्बर 1250/86, रकबा 0.6475 हेक्टर भूमि जो कि वादी कि स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी है। वादी को उपजिलाधीश राजसमंद के द्वारा दिनांक 11/01/1975 को बोलते नाम से केशु पिता रामा के नाम से ऐलोट हुई । उसके पश्चात् पटवारी हल्का पनोतिया द्वारा एलोटमेन्ट के आधार पर राजस्व रिकार्ड में केशु पिता रामा नाम अंकित कर दिया गया । उसके पश्चात् भू अभिलेख रेलमगरा द्वारा 25/09/1975 को राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादी को पासबुक जारी कर दी। और जिससे केशु पिता रामा नाम अंकित हो गया । और एलोटमेन्ट बोलते नाम केशु होने से राजस्व रिकॉर्ड में भी केशु पिता रामा अंकित हो गया केशु पिता रामा के नाम से राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है उपरोक्त वर्णित आराजी में भी केशु पिता रामा नाम अंकित है बल्कि वादी का वास्तवितक नाम शंकर लाल रेगर लेकिन रिकॉर्ड के केशु पिता रामा अंकित है। वादी के समस्त दस्तावेजो में शंकर लाल रेगर ही है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम केशु पिता रामा होने से कठिनाईयो का सामना करना पढ रहा है पुर्व में केशु पिता रामा के नाम से जानते थे लेकिन वर्तमान में नाम शंकर लाल रेगर ही है बल्कि समस्त दस्तावेज भी शंकर लाल रेगर के नाम पर ही है राजस्व रिकॉर्ड में जो केशु पिता रामा नाम अंकित है उस इन्द्राज को दुरस्त कर शंकर लाल रेगर नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें जिस हेतु यह घोषणा इन्द्राज दुरस्ती, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत है। ग्राम बैठूम्बी पटवार पनोतिया की वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 88 की आराजी सख्या 1250/86 में अंकित इन्द्राज जो कि केशु पिता राम सा. देह. खातेदार अंकित है। यह इन्द्राज इस लिये अंकित हुआ कि मुझ वादी को उपजिलाधीश द्वारा दिनांक 11/01/1975 को बोलते नाम से केशु पिता रामा के नाम से ऐलोट हुई। इसलिये इन्द्राज उस समय से लेकर के अब तक बदस्तुर चला आ रहा है जिससे इन्द्राज को विलोपित करते हुए संशोधित इन्द्राज शंकर लाल पिता रामा रेगर अंकित किया जावे। यह कि वादी का वाद हेतुक जब दिनांक 20/07/2020 को उत्पन्न हुआ जब वादी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

को बैंक से केसीसी कराने हेतु वर्तमान राजस्व रिकॉर्डके जमाबन्दी की आवश्यकता हुई जिससे नकले प्राप्त कि और जिससे उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे वादी का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी की जावेः– ग्राम बैठूम्बी पटवार पनोतिया में स्थित कृषि जिसके आराजी नम्बर 1250/86, रकबा 0.6475 हेक्टर भूमि जो कि वादी कि स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी हैं । में वादी का नाम केशु पिता रामा की जगह शंकर लाल पिता रामा रेगर अंकित किय जाने कि घोषणात्मक डिक्री जारी की जावें। ग्राम बैठूम्बी पटवार पनोतिया की वर्तमान जमाबन्दी में खाता सख्या 88 की आराजी सख्या 1250/86, में अंकित इन्द्राज जो कि (केशु पिता रामा सा. देह. खातेदार) अंकित है। यह इन्द्राज इस लिये अंकित हुआ कि मुझ वादी को उपजिलाधीश द्वारा दिनांक 11/01/1975 को बोलते नाम से केशु पिता रामा के नाम से ऐलोट हुई। इसलिये इन्दाज उस समय से लेकर के अब तक बदस्तुर चला आ रहा है जिससे इन्द्राज को विलोपित करते हुए संशोधित इन्द्राज शंकर लाल पिता रामा रेगर अंकित किया जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कर केशु पिता रामा की जगह शंकर लाल पिता रामा रेगर अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड कि अंकन किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है, कलम संख्या 02 व 03 वादी स्वयं सिद्व करे तथा कलम संख्या 04, 05, 06 कानूनी है। तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पास बुक की छाया प्रतियां एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम शंकरलाल अंकित है। वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम बैठूम्बी पटवार पनोतिया में स्थित कृषि जिसके आराजी नम्बर 1250/86, रकबा 0.6475 हेक्टर में अंकित वादी को केशु पिता रामा के स्थान पर केशु उर्फ शंकरलाल पिता रामा रेगर नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुरूप अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा